सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 219/2019 दायर दिनाँक 27.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ, उम्र–80साल, जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।

दिनाँक 22.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम फातमा पत्नी एजाजखाँ दर्ज है। वादी को पीहर मे फातमा के नाम से ही जाना जाता था तथा ससुराल में भूरी बेगम के नाम से जाना जाता है। उक्त खेत के रजिस्टर्ड बैचाण में फातमा दर्ज हो गया जिसकी छायाप्रति पेश है। वादी का सही नाम भूरी बेगम है इसलिए उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भूरी बेगम ही दुरस्त किया जावे।

आधार–कार्ड, राशन–कार्ड, निर्वाच पहचान–पत्र, भामाशाह–कार्ड में सही नाम भूरी बेगम पत्नी इजाज खाँ दर्ज है जबकि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड फातमा दर्ज है, जो सही नहीं है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 219/2019
दायर दिनाँक 27.06.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भूरी बेगम बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

इसलिए वादी दस्तावेजात् माफिक ही राजस्व रिकॉर्ड में भूरी बेगम दुरस्त किया जावे।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम "फातमा पत्नी एजाजखाँ" को "भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें वादी का नाम फातमा के स्थान पर भूरी दुरस्त करने का निवेदन किया है।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डाबगॉव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 166/134 खसरा नम्बर 137 की प्रमाणित प्रतिलिपि, निर्वाचन पहचान–पत्र की छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड की छायाप्रति, ग्रामपंचायत शेरानीआबाद द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक एसपीएल 2018–19, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश कर, निवेदन किया है कि, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज वादी के नाम फातमा को भूरी बेगम दुरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में प्रतिवादी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर वादी अनुतोष माफिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ की है। लिहाजा, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 219 / 2019
दायर दिनाँक 27.06.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भूरी बेगम बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

रिकॉर्ड में वादी के नाम "फातमा पत्नी इजाजखाँ" के स्थान पर "भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ" दुरस्त किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "फातमा पत्नी इजाजखाँ" के स्थान पर "भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:-- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **219/2019** दायर दिनाँक **27.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ, उम्र--80साल, जाति--शेरानीआबाद, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 137 रकबा 79.03 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "फातमा पत्नी इजाजखाँ" के स्थान पर "भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.........–......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूप या	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–219–2019 / रीडर / 2019 / 202 दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. भूरी बेगम पत्नी इजाजखाँ, उम्र–80साल, जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner